

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Plot No. 24, Phase-9, Industrial Area, Mohali-Chandigarh

No. 1(10)/HR/NSC/CHD/24-25

Dated: 17.04.2024

E-TENDER NOTICE

National Seeds Corporation Limited, Regional Office, Mohali-Chandigarh invites e-tender in two bid system from reputed firms for appointment of Work (Job) Contractor for arranging to get work done like shifting of Raw Seeds, Processing, Packing, Grading, Stacking, Loading/Unloading and related work etc. of Seeds on annual contract basis for FY 2024-25 for its Area Office located at Karnal, Jalandhar, Bhatinda and Kathua.

The tender will be opened on 09.05.2024 at RO, Mohali-Chandigarh. The tender documents can be downloaded from NSC Website www.indiaseeds.com and <https://indiaseeds.enivida.com> from 18.04.2024. Any addition/deletion will be uploaded only on NSC website.

Regional Manager

बीज प्रक्रिया संयंत्रों का श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये
शर्तें एवं विस्तृत विवरण वर्ष 2024-25

- 1 श्रमिक ठेकेदार का अपना श्रमिक कार्य लाईसैंस, ई0 एस0 आई/ ई पी एफ कोड न0/पैन कार्ड /जी0एस0टी न0 होना आवश्यक है अन्यथा तकनीकी बिड निरस्त मानी जायेगी जिसका पूर्ण विवरण संलग्न करना होगा ।
- 2 ई-निविदाएँ दिनांक 09.05.2024 को 1-00 बजे तक स्वीकार की जायेगी व उसी दिन 2.00 बजे खोली जाएँगी । निविदादाता को निविदा फार्म रु: 590/- जी.एस.टी सहित एवं धरोहर राशि रु: 20,000/-(बीस हजार रुपये) प्रत्येक उप इकाई के लिए Demand Draft/NEFT/RTGS निगम के नाम नेशनल सीडस कारपोरेशन लि. मोहाली को संलग्न करना होगा । धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदादाता को कार्य करने से पहले रुपये 50000/. (रुपये पचास हजार जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा) तथा रु: 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा । निविदादाता तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड(Technical Bid/Financial Bid) अलग अलग लिफाफे में रखें अगर इकठी रखी होगी तो मान्य नहीं मानी जाएगी ।
- 3 खरीफ /रबी /जायद संसाधन के दौरान ठेकेदार को बीज विद्यायन केन्द्र/गोदामों में प्रति सप्ताह स्प्रे तथा समय समय पर विद्यायन केन्द्र/ मशीनो , गोदामों तथा डस्ट कलस्टर से एकत्रित धूल/कचरा की सफाई करनी होगी । प्लान्ट इन्वार्ज एवं प्रक्षेत्र प्रबन्धक सत्यापन के बाद ही ठेकेदार के बिलों का भुगतान होगा ।
- 4 ठेकेदार को भुगतान बीज की अन्तिम रूप से पैक की गई मात्रा (packed qty) पर ही किया जायेगा न कि अप्रक्रियावृत बीज (Raw Seed) मात्रा पर ।
- 5 ऐंसी स्थिति में जहां ठेकेदार को अप्रत्यक्ष व पैकिंग के लिये भुगतान किया जायेगा उस स्थिति में उसे दो बार से भुगतान देय होगा अर्थात भुगतान उस मात्रा पर देय होगा जो संसाधन के बाद 50 कि0ग्रा0/ बल्क पैकिंग में प्राप्त होगी ओर दूसरा भुगतान अन्तिम रूप से पैक की गई मात्रा पर देय होगा ।
- 6 प्रति धंटा औसत गेंडिंग व पैकिंग की मात्रा कम से कम 3 टन सुनिश्चित करना एवं 3 टन से कम करने पर बिल राशि का 10 प्रतिशत पैनल्टी लगाई जाएगी । इसका कडाई से पालन करें ।

- 7 ठेकेदार को वह सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो फैक्टरी एक्ट 1948 मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हैं। इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी न कि निगम की। ठेकेदार द्वारा लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पत्ता, पिता का नाम, आयु इत्यादि अपने हाजरी रजिस्टर में रखना होगा तथा लगाई गई लेबर की रोज़ हाजरी निगम के अधिकारी/प्लान्ट इंचार्ज से चैक कराना होगा।
- 8 निगम के कार्य में लगाये गये मज़दूरों के वेतन से ई एस आई/ भविष्य निधि अंशदान की वसूली करना एवं इस राशि की अन्य अंशदान/ करों को नियमानुसार ई/ एस आई/ भविष्य निधि में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।। ऐसा ना करने पर संबंधित कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की ई एस आई/ भविष्य निधि अंशदान की कटौती ठेकेदार के बिलों के भुगतान से कर ली जायेगी। सामुहिक बीमा योजना के अधीन अग्रिम राशि का भुगतान प्रति लेबर प्रति वर्ष प्रशासनिक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा।
9. समय समय पर आवश्यकतानुसार व निगम के निर्देशनुसार ठेकेदार को बीज के बोरो/ सामान के चटटे लगवाने होंगे। बोरो की गिनती करना, बंडल लगाना/बनाना एवं अन्य पैकिंग युक्त सामान को सुव्यवस्थित करना तथा चटटा लगाना आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे।
- 10 सभी तरह के कर समय समय पर जो भी लागू होगा उसका भुगतान ठेकेदार के बिलों में से काटा जायेगा।
- 11 बीज प्रक्रिया प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा बिलों की पूर्ण जांच, आयकर, ई0 एस0आई भविष्य निधि इत्यादि की वसूली सुनिश्चित होने/करने के बाद बिलों का भुगतान आर0टी0जी0एस के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय मोहाली द्वारा किया जायेगा।
- 12 धूप से बीजों को उनके न्यूनतम आहता (Moisture) स्तर तक सुखने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
- 13 बीजों की प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये ठेकेदार को अप्रक्रियाकृत (Raw Seed) बीजों को मशीन तक पहुचाने से ले कर बीजों की अन्तिम पैकिंग। किलोग्राम से 40 किलो ग्राम की पैकिंग करना, बीजोपचार करना अथवा फफुंद नाशक का पैकिट बना कर बीज के थैलों में रखना, टैग, लेबलों व थैलों पर सभी वांछनीय जानकारी लिखना, टैग लेबल लगा कर सिलाई करना, सील लगाकर व प्लायर से दबाना, प्रत्येक कृषक का फसल किस्तावार/अन्डरसाईज बीज को एकत्र करना, बोरो में डाल कर तुलाई करना, बोरो पर लाट क्रमांक, वजन इत्यादि लिखना व सिलाई करना दोनों अन्डरसाईज व प्रक्रियाकृत बीजों को कृषकवार लाट वार स्टैक लगाना तथा बीज से खाली हुए सभी बोरो को साफ कर 50-50 के बन्डल बना कर निर्देशित स्थान पर रखना इत्यादि कार्य ठेकेदार द्वारा ही सम्पन्न किया जायेगा। मंद संख्या 4 एवं 5 की बीज प्रक्रिया की दरों से अप्रक्रियाकृत बीज (Raw seed) को मशीनों पर पहुचाने स्टैक लगाने, छानन (undersize) बीज को मशीनों से उठाकर प्रक्रिया संयंत्र के बाहर निगम के

परिसर में लगाने अथवा किराये पर लिये गये प्रक्रिया संयंत्र से 150 फुट पर लगाने की दरें सम्मिलित हैं। इस कार्य का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जायेगा।

14. विधायन संयंत्र परिसर में स्थित भंडार ग्रह अथवा नजदीकी भंडार ग्रह से बीज उठाकर बीज विधायन संयंत्र तक लाना, ग्रेडिंग करना ग्रेडिंग के बाद वजन करके निर्देशानुसार जूट बैग में स्टैण्डर्ड पैकिंग में पैक कर सिलाई करना व बताये गए स्थान पर (विधायन केन्द्र परिसर में अथवा नजदीकी भंडार ग्रह) चटा /स्टैकिंग लगाना/सूतली एवं जूट बैग निगम द्वारा दिए जाएंगे।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक बिना कोई कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. ठेकेदार की प्रक्रिया संयंत्र पर प्रक्रिया प्रभारी /प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार प्रक्रिया कार्य के लिये पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। कार्य के लिये प्राप्त श्रमिकों की पूर्ति करने में असफल होने की दशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं श्रमिकों को लगातार कार्य कराए एवं लगाये गये मजदूरों की मजदूरी व सर्विस चार्ज /ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जायेगी। संतोषजनक कार्य ना होने पर या समय पर लेबर उपलब्ध न कराने पर जिससे निगम के काम में बाधा आए ठेकेदार को 7 दिन का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा इसके साथ साथ धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है। निगम व श्रमिक ठेकेदार में आपसी सहमति के फलस्वरूप श्रमिक ठेकेदार का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. ठेकेदार को प्लांट मशीनरी का ज्ञान होना चाहिए जिससे संसाधन का कार्य ठीक प्रकार से चले, बैग क्लोसर तुलाई मशीन तथा फुट स्प्रे पंप के रखरखाव व मरम्मत (मिस्त्री को दिया जाने वाला खर्च) लेबर ठेकेदार को देना होगा। मशीनरी में लगने वाले पार्ट्स का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। लेबर ठेकेदार द्वारा गोदाम की दीवारों/छत की सफाई भी करवानी होगी।
18. जब निगम की प्रक्रिया संयंत्र के अलावा बीज को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो एक ही नगरपालिका में स्थित है पहुंचाना है तो बीजों/सामान को लोड करवाने परिवहन करने, उतरवाने, स्टैक लगाने हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बीज सामान परिवहन के दौरान यदि बीज अथवा सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसके लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा एवं निगम द्वारा तय की गई सामान की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जाएगी अगर राशि अधिक हो तो इसका भुगतान ठेकेदार को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निगम को करना होगा।
19. संयंत्र प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/सामान परिवहन के लिये ट्रकों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐसा ना करने पर व असफल होने

पर आवश्यकतानुसार निगम ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था कर लेगी एवं इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से कर ली जायेगी ।

20. ठेकेदार को यह निश्चित करना होगा कि गोदाम से बीज उठाते समय कटा फटा क्षतिग्रस्त बोरा ना उठाया जाये और ना ही ट्रक में लोड किया जाये ।
21. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिमाह दिनांक 7 तक करना अनिवार्य है अन्यथा ठेकेदार के बिल से श्रमिकों की मजदूरी की राशि काट कर दी जायेगी ताकि किसी प्रकार के श्रमिक वाद विवाद से बचा जा सके ।
22. किसी भी प्रकार की आपत्ति विवाद अनुबन्ध की कार्यनवित होने के संबंध में अथवा उसके समाधान की स्थिति में उत्पन्न होता है तो यह सोल आरबीट्रेटर को सौंपा जायेगा जो कि निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उच्चतम अधिकारी स्वयं भी सोल आरबीट्रेटर का कार्य करने में सक्षम होगा । इस अनुबंध के अर्न्तगत ठेकेदार को कोई एतराज़ नहीं होगा कि अध्यक्ष या आरबीट्रेटर जैसा कि ऊपर नियुक्त किया गया है यह व्यक्ति है जिसने मामले को डील किया है अपने विचार प्रकट किये हैं या अपनी विचार भिन्नता व्यक्त की है । दोनों पक्ष इस बात पर राजी हैं कि यदि आरबीट्रेटर / अध्यक्ष किन्ही कारणों से पद त्याग देता है या आरबीट्रेटर के रूप में कार्य करने से मना कर देता है ।
23. उपरोक्त दी गई शर्तें श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मान्य होगी संबंध उन्ही से नियमित होगा ।
24. निविदा वित्त (Financial Bid) में स्लैब के आधार पर जिसके रेट ज्यादा स्लैब में L-1 होंगे उसे ही प्राथमिकता/Job Order दिया जायेगा ।
25. ई-निविदाएं नेशनल सीडस कारपोरेशन में ई एम डी रुपये 20,000/- का बैंक ड्राफ्ट/ एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० नेशनल सीडस कारपोरेशन लि० मोहाली को देय हो ।
26. अगर जी०एस०टी कोई देय बनता है तो वह ठेकेदार द्वारा दिए गये रेट में इनकलूसिब (शामिल) माना जायेगा । इसलिए GST भरने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं वह GST विभाग को जमा करेगा ।
27. पिछले स्टॉक (कैरी ओवर स्टॉक) की रीग्रेडिंग एवं पैकिंग : कैरी ओवर स्टॉक की स्टॉक में से लाट वार छंटाई करना बीजों के बैग को खोलना इसकी ग्रेडिंग एवं यदि आवश्यक हो तो बीज का ट्रीटमेंट (उपचारित) करना एवं बीज को निगम के मानदण्डों के अनुसार पैक करना एवं बीज के बैगों को लाट वार विधायन केन्द्र में या भंडार ग्रह में स्टैकिंग करना (चटा लगाना) ।

28. लेबर ठेकेदार द्वारा लोडिंग/अनलोडिंग का बजन (Weighment) की शीट भी बिल के साथ क्षेत्र 0 को प्रेषित करनी होगी ।
29. लेबर ठेकेदार द्वारा गन्नी बैग की मरम्मत के उपरांत बोरी पल्ट कर झाड़कर रखना आदि ।
30. फ्युमिगेशन कवर को लेबर ठेकेदार द्वारा फ्युमिगेशन करने के उपरांत तह लगाकर उचित स्थान पर रखना
31. लेबर ठेकेदार के बिलों पर बिल ऑफ सप्लाई/टैक्स इन्वाइस, एच एस एन कोड एवं जी एस टी नंबर लिखा होना अनिवार्य है ।
32. सप्ताह में एक बार गोदाम की सफाई करना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी ।
33. यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है और संबंधित दस्तावेज़ तैयार करने में विफल रहता है, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और ठेकेदार एनएससी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी है। फर्म को देय निष्पादन सुरक्षा जमा, मासिक बिलों को जम्मा करना।

वित्तीय बिड/Financial Bid

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

क्रम सं०	कार्य का विवरण उप इकाई का नाम: _____	दर(रूपये प्रति कु०) 2024-25
1.	एक ही परिसर के अंदर से बीज विधायन सयंत्र तक बीज/सामान का परिवहन,लोडिंग/अनलोडिंग सहित।)लेकिन गोदाम के अंदर 150फुट से ज्यादा की दूरी पर लागू होगा(i) गोदाम से 5किलो मीटर की दर (1 से 5.99किलो मीटर तक दर(ii) गोदाम से 10-6किलो मीटर की दर	
2.	एक ही परिसर में स्थित विभिन्न गोदामों में बीज/सामान को शिफ्ट करना।	
3.	प्रत्यक्ष पैकिंग)Direct grading &Packing)(नियम एवं शर्तें क्रम सं० 13देखें(i पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	
v	पैकिंग साइज़ 2-0से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
vii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 11-20किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
4-क	अप्रत्यक्ष पैकिंग(Indirect Packing)ग्रेडिंग एवं बल्क पैकिंग(नियम एवं शर्तें क्रम सं० 14 देखें) i पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii.	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	
v	पैकिंग साइज़ 2-0से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
vii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 11-20किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
xi	पैकिंग साइज़ 41-50 किलो तक	
4-ख	ग्रेडिड बीज (बल्क बीज)से प्रत्यक्ष पैकिंग(Direct Packing) (नियम एवं शर्तें क्रमसं० 13 एवं 14देखें) i पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	

v	पैकिंग साइज़ 02 से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
vii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
5.	बीज/सामान ट्रक/ट्राली आदि में लोड/अनलोड करना ।	
6.	खरीफ सीजन में उत्पादित बीजों को धूप में उचित नमी तक सुखाई करना)बीजों को गोदाम में सुखाने के स्थान तक लाना व ले जाना आदि ।	
7.	बीजों को पुनः वैधीकरण करना बीजों को लॉट वाईज करना एवं वैधीकरण की मोहर लगाना तथा पुनः स्टैक लगाना ।	
i	पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	
v	पैकिंग साइज़ 2-0 से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
vii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
8.	बीजों को पुनः वैधीकरण)Revalidation) के अंतर्गत नई थैलियाँ बनाना, भरना, टैग,लेबल,सिलाई,सील लगाना तथा थैलियों को बोरियों में भरना और पुनः स्टैक लगाना ।	
i	पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	
v	पैकिंग साइज़ 0-2 से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
xi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
9.	बीज लॉट की स्टैक की तुड़ाई करना, लॉट वाईज बीजों की छटाई करना एवं उसी गोदाम में स्टैक लगाना)Segregation)	
10.	कटे/फटे बारदाना की मरम्मत,गिनती करके 50-50के बंडल बनाना एवं स्टैक लगाना।)दर प्रति बंडल(	
11°	खाली बोरियों/खाली कटों/बारदाना की छटाई गिनती करना एवं 50-50के बंडल बनाना तथा स्टैक लगाना ।)दर प्रति बंडल(	
12.	समय 2-पर गोदाम में बीजों का Fumigation करवाना, दवाई डालना, कवर को	

	बीज पर डालना, मिट्टी कवर पर लगाना इत्यादि। समय 2- पर अथवा Fumigation के बाद गोदाम में दवा का स्प्रे करना। Fumigation के बाद कवर को उठाना तथा मिट्टी इत्यादि साफ करना)प्रति कुवन्टल की दर से(	
	केरी ओवर स्टॉक को पुनः ग्रेडिंग व पैकिंग करना (नियम एवं शर्तें क्रम सं० 25 देखें)	
i	पैकिंग साइज़ 0 से 0.250 किलो ग्राम	
ii	पैकिंग साइज़ 0.250 से 0.500 किलो ग्राम	
iii	पैकिंग साइज़ 0.500 से 01 किलो ग्राम	
iv	पैकिंग साइज़ 01 से 02 किलो ग्राम	
v	पैकिंग साइज़ 0-2 से 03 किलो ग्राम	
vi	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
vii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
viii	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
ix	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
x	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
13.	सर्टिफिकेशन एवं पैकिंग मैटेरियल की लोडिंग /अनलोडिंग करना।	
i	क्लाथ/एच०डी०पी०ई० बैग /कैमिकल ड्रम/बैग /बंडल /बेल्स 20किलो से 50 किलो तक	
ii	क्लाथ/एच०डी०पी०ई० बैग /कैमिकल ड्रम/बैग /बंडल /बेल्स 51किलो से 100 किलो तक	

CHECKLIST FOR THE TENDERER

1. Check that the e-tender is submitted in two bid system. Separately for Technical and Financial Bid(Point No.-2)
2. Ensure paid of Tender Form Cost of Rs. 590(with GST) (Point No.2)
3. Ensure deposit of EMD of Rs. 20,000 for each sub Unit (Point No.2)
4. The Tenderer is required to sign on all the pages of the tender documents.
5. GST Registration No. (copy Attached)
6. Income Tax Return of last two years and PAN No. (Copy attached).
7. Registration of the Firm under Shops and Establishment Act.
8. Registration No. under EPF (Point No. 01) (copy attached).
9. Registration No. under ESI (Point No. 01) (Copt attached).
10. If no EMD/Tender Form Cost is submitted by MSME units then valid NSIL Certificate along with request letter for exemption of EM/Tender Form Cost to consider in the tender.
11. Experience Certificate(Certificate/Job Order)
12. All the above documents from Sl. No. 1 to 11 are to be submitted in e-tender in the Technical Bid only. If any of the documents mentioned above is submitted in the financial bid, the responsibility for any consequence lies with the tender party and the tender will be out rightly rejected.